प्रकाशन के लिए अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5050/2009</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> : लक्ष्मण चतुर्वेदी

बनाम

<u>उत्तरवादी</u> : छत्तीसगढ़ लोक आयोग

<u>आदेश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 17 नवंबर, 2009 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा,
न्यायाधीश

प्रकाशन के लिए अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5050/2009

याचिकाकर्ता : लक्ष्मण चतुर्वेदी , पिता स्वर्गीय एम.पी चतुर्वेदी, उम्र लगभग 65 वर्ष, कुलपति, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ लोक आयोग छत्तीसगढ़, (छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गठित एवम संविधिक प्राधिकरण) सचिव, जिसका कार्यालय गांधी चौक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

श्री संजय के. अग्रवाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री सुमेश बजाज, उत्तरवादी के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 17 नवंबर, 2009 को पारित किया गया)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर कर उत्तरवादी लोक आयोग द्वारा जारी अनुलग्नक पी/1 और पी/2 के आपेक्षित संसूचना को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दिनांक 28 अगस्त, 2009 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जवाब प्रस्तुत करने में विफल रहने पर यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और आगे उत्तरवादी को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज, अभिलेख और सामग्री की आपूर्ति करने के निर्देश देने के लिए प्रार्थना की है, जो कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की जांच के दौरान विश्वविद्यालय से एकत्र किया गया था।

2. संक्षेप में कहा जाए तो, याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह संबंधित समय में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (इसके बाद "विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित) के कुलपति थे। वर्तमान में, वह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (अब केंद्रीय विश्वविद्यालय) के कुलपति

हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 8(1) के तहत उप रजिस्ट्रार श्री विक्टर एक्का द्वारा शिकायत दर्ज की कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत के साथ 124 पृष्ठों के दस्तावेज संलग्न किए। लोक आयोग ने याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना शिकायत की जांच करवाई और इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 4.5.2009 को एक नोटिस दिया गया, जिसमें उसके खिलाफ नौ आरोप लगाए गए और शिकायत की अधूरी प्रति भी दी गई, बिना उक्त शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों को संलग्न किए। याचिकाकर्ता ने लोक आयोग से शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों और विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति किए गए दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को सलाह दी गई कि वे दस्तावेज़ विश्वविद्यालय से प्राप्त करें, जो श्री के.के. चंद्राकर द्वारा किया जा रहा है। दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के उनके अनुरोध को अनुलग्नक पी/2 के अनुसार पुनः अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें अंततः दिनांक 28.8.2009 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने तर्क दिया कि शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेज शिकायत का अभिन्न अंग हैं और विश्वविद्यालय द्वारा लोक आयोग को उपलब्ध कराए गए और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे भी शिकायत का हिस्सा हैं। याचिकाकर्ता उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का हकदार है। लोक आयोग के समक्ष कार्यवाही अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार एक न्यायिक कार्यवाही है। अधिनियम की धारा 9 को छत्तीसगढ़ लोक आयोग (जांच) नियम, 2002 (संक्षिप्त रूप में "नियम") के नियम 17 के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि लोक आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि लोक आयोग की सिफारिशों के याचिकाकर्ता के विरुद्ध दीवानी परिणाम होंगे। याचिकाकर्ता के विरुद्ध जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब वह बिना दस्तावेजो के सिर्फ आरोपों को पढ़कर नहीं दे पाएगा।

अधिनियम की धारा 14(1) केवल यह प्रावधान करती है कि लोक आयोग द्वारा शिकायत के संबंध में जाँच के दौरान प्राप्त की गई कोई भी जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में दर्ज या एकत्रित साक्ष्य गोपनीय माने जाएँगे और यह गोपनीयता शिकायत की प्रति और शिकायत

के साथ दायर किए गए दस्तावेज़ों की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। उत्तरवादी के इस तर्क का खंडन करते हुए कि जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के तहत गोपनीय हैं, यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी ने स्वयं जाँच के दौरान एकत्रित दस्तावेज़ों को अनुलग्नक आर/1 से आर/3 के रूप में प्रस्तुत किया है और इसलिए, गोपनीयता के आधार पर उन दस्तावेज़ों की प्रतियाँ प्रदान करने से इनकार करना केवल एक बहाना है।

जहाँ तक दूसरे तर्क का प्रश्न है कि अनुलग्नक आर/1 से आर/3 के दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को शिकायत की जानकारी थी और विश्वविद्यालय द्वारा दायर उत्तर पर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति के रूप में स्वयं उनके द्वारा ही कार्यवाही की गई थी, तो यह उत्तरवादी को जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री प्रस्तुत करने से मुक्त नहीं करता ताकि याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने का अवसर मिल सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरित, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमेश बजाज ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय को जारी किए गए नोटिस की पूरी जानकारी थी और उसके बाद की प्रत्येक कार्यवाही उनके हस्ताक्षर से की गई। उत्तरवादी द्वारा दायर अनुलग्नक आर/1 से आर/3 के दस्तावेजों से भी यही बात परिलक्षित होती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में अस्वच्छ नीयत से याचिका दायर की है और इस आधार पर याचिका खारिज किए जाने योग्य है। आगे तर्क दिया गया कि लोक आयोग की कार्यप्रणाली कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह एक तथ्यान्वेषी जाँच है।

अधिनियम और नियमों के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 14(1) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि लोक आयोग द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ों वाली जानकारी गोपनीय रहेगी। धारा 14(2) केवल तभी लागू होती है जब लोक आयोग द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

नियमों के नियम 17 का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया गया कि यह नियम लोक आयोग द्वारा जाँच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यह नियम बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि लोक आयोग लोक सेवक को शिकायत की प्रति या अभियोगों

का विवरण देने के लिए बाध्य है। इस नियम के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवक शिकायत की प्रति का भी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता, जबकि वर्तमान मामले में, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता को शिकायत की प्रति के साथ अभियोगों का विवरण भी दिया है। अभियोगों का विवरण काफी विस्तृत और स्पष्ट है और नियम 17 के अनुपालन में यह पूर्णतः लागू है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना ।

6. इस याचिका में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी /लोक आयोग अधिनियम की धारा 9 और 10 के अंतर्गत जाँच के चरण में शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ और ऐसी शिकायत के आधार पर जाँच के दौरान एकत्रित किए गए तात्विक साक्ष्यों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है?

7. संबंधित पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने से पूर्व, अधिनियम और नियमों के सुसंगत प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अधिनियम की धारा 6 लोक आयोग को मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी लोक सेवक के विरुद्ध कदाचार की किसी भी शिकायत की जाँच करने का अधिकार देती है। धारा 8 शिकायतों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि कदाचार से संबंधित प्रत्येक शिकायत निर्धारित प्रपत्र में की जानी चाहिए और उसके साथ एक निश्चित शुल्क जमा करना होगा तथा शिकायतकर्ता का शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।

अधिनियम की धारा 9, 11 और 14 इस प्रकार हैं:

> "9. **जांच के संबंध में प्रक्रिया** :- लोक आयोग अपने समक्ष लाये जाने वाले प्रकरणों की जांच के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण करेगा तथा ऐसा करते समय वह सुनिश्चित करेगा कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन न हो.
>
> 11. **लोक आयोग का प्रतिवेदन** (1). यदि किसी कार्रवाई, जिसके कि संबंध में कोई शिकायत प्राप्त की गई हो, अन्वेषण के पश्चात् लोक आयोग की यह राय है कि शिकायत स्थापित होती .है तो वह लिखित में एक प्रतिवेदन द्वारा सुसंगत दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के साथ उसके निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा.
> **स्पष्टीकरण** :- किसी शिकायत, जिसमें उस शिकायत पर निर्णय, प्रतिवेदन, निष्कर्ष और परिणाम भी सम्मिलित है, के संबंध में लोक आयोग की राय से अभिप्रेत है इसके सदस्यों की बहुसंख्या का मत।

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण करेगा और उस प्रतिवेदन के आधार पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित. कार्रवाई की सूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने की ही तारीख से तीन मास के भीतर, लोक आयोग को देगा।

(3) यदि लोक आयोग का उसकी सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई से समाधान हो जाये तो वह संबंधित परिवादी, लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए मामले को बंद कर देगा। किसी अन्य मामलें में यदि वह यह समझे कि मामला इस योग्य है तो, राज्यपाल को उस मामले के संबंध में विशेष प्रतिवेदन कर सकेगा तथा संबंधित परिवादी को भी इत्तिला दे सकेगा।

(4) लोक आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रतिवर्ष पेश करेगा।

(5) यदि उप धारा (3) के अधीन किसी विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (4) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन में किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है. तो ऐसी प्रतिवेदन में उस प्रतिवाद का, जो कि ऐसे लोक सेवक ने पेश किया था, सार तथा उस पर यंथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा या उसकी ओर से या संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से की गई टिप्पणी भी अंतर्विष्ट होगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उपधारा (3) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपघारा (4) अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उस प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगा।

(7) इस अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए लोक आयोग, बंद किये गये या अन्यथा निराकरण किए गये उन मामलों का जो कि उसे सामान्य लोकहित के या विद्या संबंधी "या वृत्तिक हित के प्रतीत हो, का सार ऐसी रीति में तथा ऐसे व्यक्तियों को, जो कि उसे समुचित प्रतीत हों स्वविवेकानुसार समय-समय पर उपलब्ध करा सकेगा |

14. जानकारी का गुप्त रखा जाना:- (1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जांच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जांच के अनुक्रम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायेगा |

(2) उप-धारा (1) में कोई भी बात :
(क) जांच के प्रयोजनों के लिये या उसके बारे में दी जाने वाली किसी प्रतिवेदन मैं या ऐसी प्रतिवेदन के बारे में की जाने वाली किसी कार्यवाही या की जाने वाली किन्हीं 'कार्यवाहियों के लिये, या
(ख) ऑफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 (1923 का सं.19) के अधीन किसी अपराध या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के किसी अपराध के लिये किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये या इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, या
(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो कि विहींत किये जायें, किसी जानकारी या प्रकटन को लागू नहीं होगी।

(3) 'कोई अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, जो इसं संबंध में विहित किया जाये. लोक आयोग को लिखित सूचना, सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तावेज या जानकारी के संबंध में, या इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई दस्तावेजों के किसी वर्ग के संबंध में, इस प्रभाव की दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में उन दस्तावेजों या जानकारी का उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी
का प्रकटन लोक हित के विरुद्ध होगा और जहां ऐसी सूचना दी गई हो. वहां इस अधिनियम में की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह हि प्रमख लोक आयुक्त, लोक आयुक्त या उसके कर्मचारीवृन्द के किसी सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित करती है कि वह किसी भी व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट की गई किसी दस्तादेज या जानकारी की या.
इस प्रकार विनिर्दिष्ट किये गये वर्ग की किसी दस्तावेज या जानकारी की सूचना दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ये नियम अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। नियम 15, प्रमुख लोकायुक्त को किसी कार्यवाही, जाँच या अन्वेषण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देता है, जहाँ इन नियमों में उस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नियम 17 आयोग द्वारा जाँच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

> **"**17. **आयोग द्वारा जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया** - जब आयोग किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच करने का निर्णय लेता है, तो ऐसे लोक सेवक को शिकायत की एक प्रति या उसके विरुद्ध लगाए गए अभियोगों का विवरण दिया जाएगा और उसे व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।**"**

10. अधिनियम और उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों के संयुक्त पठन से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोक आयोग को किसी भी जाँच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करने का अधिकार दिया गया है। हालाँकि, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ति हो। धारा 8 के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने के बाद, लोक आयोग धारा 10 के अंतर्गत साक्ष्य एकत्र करने के लिए सक्षम है, जो किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति पर, माँगे जाने पर, जाँच से संबंधित जानकारी या दस्तावेज़ लोक आयोग को प्रस्तुत करने का कर्तव्य डालता है। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, यदि जाँच के बाद... शिकायत पर, यदि लोक आयोग की यह राय है कि शिकायत सही पाई गई है, तो वह अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

धारा 14(1) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि लोक आयोग, उसके कर्मचारियों द्वारा अभिलिखित या एकत्रित किए गए किसी भी साक्ष्य को गोपनीय माना जाएगा। जबकि नियमों के नियम 17 के अंतर्गत, यदि लोक आयोग किसी लोक सेवक के विरुद्ध जाँच करने का निर्णय लेता है, तो उसे या तो शिकायत की प्रति या उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण प्रस्तुत करना होगा, और ऐसे लोक सेवक को व्यक्तिगत रूप से या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार, हमारा मत है कि जहाँ लोक आयोग किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर जाँच करने का निर्णय लेता है, उस स्थिति में, ऐसे लोक सेवक को शिकायत की प्रति, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण प्रस्तुत करना होगा और व्यक्तिगत रूप से या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई का अवसर भी प्रदान करना होगा। यदि नियम 17 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 9 में उल्लिखित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संतुष्ट होते हैं।

12. चूँकि लोक आयोग केवल प्रारंभिक जाँच कर रहा है। लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत या प्राप्त सूचना की सत्यता का पता लगाने के लिए की गई जाँच, केवल तथ्यान्वेषी जाँच होती है। धारा 10 के अधीन साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात्, यदि लोक आयोग की यह राय है कि शिकायत प्रमाणित हो गई है, तो उसे धारा 11 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत

करनी होगी, और यदि सक्षम प्राधिकारी आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई करना चाहता है, तो उस स्थिति में, उस लोक सेवक को अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

13. जहाँ तक याचिकाकर्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेज शिकायत का अभिन्न अंग हैं और इसलिए लोक आयोग को उन दस्तावेजों की प्रतियाँ याचिकाकर्ता को उपलब्ध करानी चाहिए थीं ताकि वह नोटिस का प्रभावी उत्तर दे सके, याचिकाकर्ता अपना उत्तर दाखिल करने से पहले लोक आयोग की पूर्व अनुमति से लोक आयोग के कार्यालय में शिकायत और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता था। हालाँकि, अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, लोक आयोग केवल शिकायत की प्रति या याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण भेजने के लिए बाध्य है। चूँकि याचिकाकर्ता को शिकायत की एक प्रति और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण भी दिया गया है, इसलिए यह अधिनियम की धारा 9 के तहत परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरा करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त चर्चाओं के आधार पर, इस याचिका का निराकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:

(i) याचिकाकर्ता इस स्तर पर शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों या लोक आयोग द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य की प्रति प्राप्त करने का हकदार नहीं है,

(ii) इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का उत्तर दाखिल करने के लिए उचित अवसर (अधिमानतः दो सप्ताह) और नियमों के नियम 17 के अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(iii) यदि याचिकाकर्ता लोक आयोग के समक्ष अभिलेख के निरीक्षण का अनुरोध करता है, तो उसे शिकायतकर्ता श्री विक्टर एक्का द्वारा अपनी शिकायत के साथ संलग्न दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि याचिकाकर्ता उत्तर दाखिल कर सके।

वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
17.11.2009

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur